5 pages

303

पूर्वोत्तर रेलवे

1/74/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0–50–12
कमांक– 74 / 2017
आरबीई सं0–29 / 2017
सं0 ई / 213 / पीसी / जीआईएस / भाग–III / चार

दिनांक 24–04–2017

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना(सीजीईजीआईएस) की भुगतान प्रणाली को सरल बनाना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी–III/2017/जीआईएस/2 दिनांक 31.03.2017 (अनुलग्नक सहित) की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक / यथोपरि

24.04.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि / अराज.
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी / एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

24.04.17
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर
04 APR 2017
महाप्रबन्धक सचिव

GOVERNMENT OF INDIA/ भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/ रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD)/ रेलवे बोर्ड

RBE No: 29/2017.
dated 31-03-2017.

No: PC-III/2017/GIS/2

The General Managers,
All Zonal Railways/Production Units etc.

Sub:- Simplification of procedure for payment of Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) dues- regarding.

Ministry of Finance vide their O.M. No. 7(1)/EV/2016 dated 17-03-2017 has issued instruction(s) that in order to ease the process of payment of savings fund on account of CGEGIS at the time of retirement of a Central Government employee, in all cases where the service of the retiring Central Government employee has been verified, payment of the accumulation under Savings Fund of CGEGIS be made without awaiting confirmation of deduction of each monthly subscription of CGEGIS, as service verification is carried out based on the monthly salary payment and the CGEGIS subscriptions are mandatory deductions from these payments.

A copy of the Ministry of Finance's O.M ibid is enclosed herewith for information and compliance.

Encl: As above

(M.K.Panda)
Joint Director, Pay Commission
Railway Board

No. PC-III/2017/GIS/2 New Delhi, dated 31.03.2017

Copy forwarded to Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

No: PC-III/2017/GIS/2 New Delhi, dated 31.03.2017

Copy to :-

(1) FA & CAOs, All Indian Railways, CLW, DLW, DMW, ICF, RWF, Metro Rail, Kolkata, MTP(R), Delhi, Mumbai, Chennai, CORE/Allahabad, (b) FA & CAOs (Construction), N.F. Railway, Maligaon & Southern Railway, Bangalore.
(2) The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
(3) Executive Director (Finance), RDSO, Lucknow.
(4) The Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
(5) General Manager, Northeast Frontier Railway (Construction), Maligaon.
(6) Director General, Railway Staff College, Vadodara.

(M.K.Panda)
Joint Director Pay Commission-II
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

3
74/2017

आरबीई सं.:29 /2017

सं. पीसी-III/2017/जीआईएस/2

नई दिल्ली, दिनांक: 31.03.2017

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय:-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) की भुगतान प्रणाली को सरल बनाना।

वित्त मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 17.03.2017 के का. ज्ञा. सं. 7(1)/ईवी/2016 के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के लेखे में बचत निधि की भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि उन सभी मामलों में जहां सेवानिवृत्त हो रहे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा को सत्यापित कर लिया गया हो, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना की बचत निधि के अंतर्गत संग्रहण हुई राशि का भुगतान किया जाए और इसके लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह के अंशदान के संबंध में पुष्टि की प्रतीक्षा न की किया जाए क्योंकि सेवा का सत्यापन मासिक वेतन के भुगतान के आधार पर किया जाता है और इन भुगतानों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना का अंशदान अनिवार्यत: किया जाना होता है।

उपरोक्त के संबंध में वित्त मंत्रालय के का. ज्ञा. की एक प्रतिलिपि सूचना एवं अनुपालन के लिए इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

(एम. के. पांडा)
संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

AJ DFCL-SIMPLIFICATION OF PROCEDURE OF CGEIS

4/7/2017

(1)

No. 7(1)/EV/2016
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 17th March, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Simplification of procedure for payment of Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) dues - regarding

It has been brought to the notice of this Department that in a number of cases delay occurs in payment of Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) dues, owing to missing entries, despite the fact that a provision has been made for making entries of subscription for CGEGIS, recovered from pay & allowances every year in Part- VII-C of the service book.

2. In terms of para 8.1 of the Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980, as contained in this Ministry's O.M. No. F.7(5)-EV/89 dated 15th May, 1989, which relates to Savings Fund of the Scheme, the total accumulation of savings together with interest thereon will be payable to the member on retirement or on cessation of his employment with the Central Government or to his family on his death while in service. The total accumulation under Savings Fund is provided for in terms of the applicable Table of Benefits pertaining to a particular year as prescribed under the relevant Orders issued by this Ministry from time to time.

3. The issue has been considered in consultation with Department of Pension & Pensioners' Welfare and Controller General of Accounts. It has been decided that in order to ease the process of payment of Savings Fund on account of CGEGIS at the time of retirement of a Central Government employee, in all cases where the service of the retiring Central Government employee has been verified, payment of the accumulation under Savings Fund of CGEGIS be made without awaiting confirmation of deduction of each monthly subscription of CGEGIS, as service verification is carried out based on the monthly salary payment and the CGEGIS subscriptions are mandatory deductions from these payments.

4. All Ministries/Departments are accordingly advised to ensure compliance of above instructions so that the dues of CGEGIS in respect of Government servants retiring on attaining the age of superannuation are discharged with due promptness. Further, it may be ensured that Ministries/Departments send their budget requirements for payments under CGEGIS to CCA (Finance) well in advance, preferably, at the time of RE/BE so that the budget under this head is made on a realistic basis.

(Amar Nath Singh)
Director

1. **All Ministries/Departments of the Government of India - as per standard mailing list**

2. **Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Governments etc. - as per standard list**

3. **NIC, Department of Expenditure, North Block - for uploading the same on the website of Ministry of Finance, Department of Expenditure.**

सं. 7(1)/ई-V/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के संबंध में।

इस विभाग की जानकारी में लाया गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि वेतन एवं भत्तों से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के लिए वसूले गए अंशदान की सेवा पुस्तिका के भाग-VII-ग में प्रत्येक वर्ष प्रविष्टि किए जाने का प्रावधान किया गया है, प्रविष्टियां न होने के कारण अनेक मामलों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की देय राशि के भुगतान में विलम्ब होता है।

2. इस मंत्रालय के 15 मई, 1989 के का. ज्ञा. सं. एफ. 7(5)-ईV/89 में यथा-उल्लिखित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के पैरा 8.1, जो योजना की बचत निधि से संबंधित है, के अनुसार कुल संचित बचत और उस पर ब्याज का भुगतान सेवानिवृत्ति पर या केन्द्र सरकार में उसके नियोजन की समाप्ति पर सदस्य को अथवा सेवाकाल में उसकी मृत्यु पर उसके परिवार को किया जाएगा। बचत निधि के तहत कुल संचित धनराशि की व्यवस्था इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संगत आदेशों के तहत यथा-निर्धारित किसी वर्ष विशेष के लिए लागू लाभों की सारणी के अनुसार की जाती है।

3. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा महालेखानियंत्रक के परामर्श से इस मुद्दे पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की मद में बचत निधि के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के उद्देश्य से सभी मामलों में, जहां सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी की सेवा का सत्यापन कर लिया गया हो, प्रत्येक मासिक राशि की कटौती की पुष्टि की प्रतीक्षा किए बगैर कर्मचारी को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की बचत निधि के तहत संचित धनराशि का भुगतान कर दिया जाए क्योंकि सेवा का सत्यापन, मासिक वेतन भुगतान के आधार पर किया जाता है और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के अंशदान इन भुगतानों से अनिवार्य कटौती हैं।

4. तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है ताकि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना की देय राशि का उचित तत्परता से भुगतान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के तहत भुगतानों के लिए अपनी बजट आवश्यकता अग्रिम रूप से, वरीयतः संशोधित प्राक्कलन/बजट प्राक्कलन के समय सीसीए (वित्त) को भेज दें ताकि वह इस शीर्ष के तहत वास्तविक आधार पर बजट तैयार कर सकें।

(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक सूची के अनुसार)।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकारों आदि को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ (मानक सूची के अनुसार)।

एनआईसी, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए।